न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 34 / 2022(2022 / 130)

1. मेहरून बेगम पत्नी जब्बार खां जाति मुसलमान निवासी राजपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक।

——प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. कोमल पुत्री श्री गजराज मीणा।
2. ग्यारसी पत्नी श्री गजराज मीणा।
3. प्रहलाद पुत्र श्री गजराज मीणा।
4. राजेन्द्र पुत्र श्री गजराज मीणा।
5. शिवराज पुत्र श्री गजराज मीणा।
6. हसराज पुत्र श्री गजराज मीणा।

   सभी निवासीगण ग्राम भाण्डावास तहसील सावर जिला अजमेर।

7. गोविन्दसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी गुलगांव तहसील केकडी जिला अजमेर।
8. पृथ्वीराज सिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी गुलगांव तहसील केकडी जिला अजमेर।
9. गायत्री कुमारी मीणा पत्नी लक्ष्मण मीणा जाति मीणा निवासी धूंधरी तहसील केकडी जिला अजमेर।
10. सुनिता पत्नी श्री हसराज मीणा जाति मीणा निवासी दलवासा तहसील देवली जिला टोंक।
11. राज. सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी जिला अजमेर।

—— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–
प्रार्थी वकील :– श्री घनश्याम वैष्णव
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 15.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम गुलगांव तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2069–72 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	किस्म
521–87	1610 / 3011 3269 / 1610	1.61 0.01	बारानी 2 गै.मु.चाह
	कुल किता 2	कुल रकबा 0.01	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमे प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रार्थी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं । प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी के नाम बतोर खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने कृषि आराजीयात में सुधार कार्य व तारबंदी करवाना चाहते है जिसके लिए खातेदारी से स्थायी पत्थरगढी होकर

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

सीमांकन हो जावे तो खेत पडोस व अन्य खातेदार से किसीप्रकार विवाद नही हो इसलिए प्रार्थी अपने कृषि आराजीयात पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 11 के कार्यालय में दिनांक 27.1.2022 को उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 11 ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार स्थायी पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है जिससे की अन्य खातेदारो व अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मौके पर विवाद उत्पन्न नही हो। इसलिए आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः स्थायी पत्थरगढ़ी कायम का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 बावजुद तामिली अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम गुलगांव तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 521–87 के खसरा संख्या 1610/3011, 3269/1610 रकबा 1.61, 0.01हैक्टर, की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner